भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 42/2015–2020
दिनांकः 7 नवम्बर, 2022

विषयः एचएस कोड 1006 40 00 के तहत टूटे हुए चावल की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार दिनांक 08 सितंबर, 2022 अधिसूचना सं. 31/2015–2020 के आंशिक संशोधन में एतद्द्वारा दिनांक 08.09.2022 की अधिसूचना सं. 31/2015–2020 के पैरा 2 की शर्त (iii) में निम्नानुसार संशोधन करती है;

2. दिनांक 08.09.2022 की अधिसूचना सं. 31/2015–2020 के पैरा–2 की मूल शर्त (iii) निम्नानुसार हैः–

iii. जहां टूटे हुए चावल की खेप इस अधिसूचना से पहले सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौंपी जा चुकी है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है।

दिनांक 08.09.2022 की अधिसूचना सं. 31/2015–2020 के पैरा–2 की संशोधित शर्त (iii) निम्नानुसार हैः–

iii. जहां टूटे हुए चावल की खेप इस अधिसूचना से पहले सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौपी जा चुकी है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है/जहां टूटे हुए चावल की खेप इस अधिसूचना से पहले **निर्यात हेतु सीमाशुल्क स्टेशन में प्रवेश कर चुकी है** और 8 सितंबर 2022 से पहले इन वस्तुओं की **सीमाशुल्क स्टेशन में** प्रवेश करने की तारीख और समय की मुहर सत्यापन योग्य प्रमाण के साथ **सीमाशुल्क स्टेशन के संबंधित निगरानी** की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है। निर्यात की अवधि 30 नवंबर, 2022 तक होगी।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

इस अधिसूचना 31/2015–2020 दिनांक 0 सितंबर, 2022 के पैरा–2 की शर्त (III) को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया गया है ताकि सीएफएस में रोकी गई ऐसी चावल की खेपों को मंजूरी प्रदान की जा सके जिन्हें इस अधिसूचना से पहले कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) को सौंप दिया गया था।

संतोष कुमार सारंगी
7.11.2022
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/010/एएम 23/ईसी/ई–33294 से जारी)